उदयपुर ।

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.....रेस्पोडेंट

उपस्थित : 1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता अपीलाण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.16 ग्राम पंचायत खेरोदा
नामान्तरकरण संख्या 4092

निर्णय

दिनांक : 18.09.17

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.16 ग्राम पंचायत खेरोदा नामान्तरकरण संख्या 4092 बाबत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा ग्राम खेरोदा पटवार मण्डल खेरोदा तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 2067, 2066 किता–2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्से का एक दान पत्र दिनांक 1509.14 को अपीलाण्ट के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित किया गया एवम उसे पंजीबद्ध कराया गया इस वैध दान पत्र के आधार पर आराजी नम्बर 2067, 2066 किता–2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा में रेस्पोडेंट 1 के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवम आधिपत्यधारी अपीलाण्ट है । पटवारी हल्का खेरोदा द्वारा पंजीकृत दान पत्र के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 23.11.15 को नामान्तरकरण संख्या 4092 वैध रूप से दर्ज किया गया,

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

जिसकी जॉच दिनांक 03.12.15 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई । पटवारी हल्का खेरोदा द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में स्वीकृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायत खेरोदा में पेश किया गया, जिस पर दिनांक 21.12.2015 को नामान्तरकरण आगामी कोरम में पेश किये जाने के आदेश हुऐ, जिस पर पटवारी हल्का खेरोदा द्वारा पुनः नामान्तरकरण ग्राम पंचायत खेरोदा की कोरम में दिनांक 21.03.16 को पेश किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा नामान्तरकरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री माधुलाल पिता नाथूलाल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है । नामान्तरकरण रूकवाने के लिये मौखिक निवेदन किया एवम ग्राम के मोतबिरानों से राय ली गई । ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज किये गये नामान्तरकरण को निरस्त कर दिये जाने से दुःखी होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है ।

2. निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित एवम पंजीकृत दान पत्र को उक्त निर्णय पारित किये जाते समय पूरी तरह से नजर अंदाज किया गया एवम रेस्पोडेंट संख्या–1 का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का उल्लेख किया गया जबकि रेस्पोडेंट संख्या–1 का मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है एवम मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर उसे पंजीबद्ध कराना संभव ही नहीं था, क्योकि विधिक सिद्धान्तो के अनुसार एक स्वस्थ्य व्यक्ति द्वारा ही दस्तावेज का पंजीयन कराया जाता है । इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी ग्राम पंचायत के द्वारा नजरन्दाज किया गया । ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा प्रारम्भ से ही अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज किये गये नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का मानस बनाया हुआ था जिससे दिनांक 31.12.15 को नामान्तरकरण को आगामी कोरम में पेश किये जाने का आदेश दिया गया । यदि रेस्पोडेंट संख्या–1 का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा दिनांक 31.12.15 को ही इस आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया जा सकता था जिसको आगामी कोरम में पेश करने का कोई औचित्य नहीं था ।

3. निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा निर्णय में यह अंकित किा गया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा नामान्तरकरण रूकवाने के लिऐ मौखिक निवेदन किया गया जो पूरी तरह से गलत है यदि रेस्पोडेंट संख्या–1 को कोई भी आपत्ति होती तो वह

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

निश्चित ही लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करता एवम पंजीकृत दान पत्र को लेकर भी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कराता । ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा निर्णय में यह अंकित किया कि ग्राम के मौतबिरानों की राय ली गई जबकि कोरम में कोई भी मौतबीरान ही उपस्थित नहीं थे । कहा कि रेस्पोडेंट संख्या–1 कुँवारा है एवम कोई भी संतान नहीं है तथा अपीलाण्ट रेस्पोडेंट संख्या–1 का सगा भतीजा है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अपनी इच्छा से पूरी तरह से वैध दान पत्र निष्पादित किया गया जिसके आधार पर अपीलाण्ट ही एक मात्र आधिपत्यधारी होकर खातेदार काश्तकार है एवम अपीलाण्ट के पक्ष में पूरी तरह से वैध रूप से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4092 को खारिज करने में ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा भारी कानूनी एवम वाकियाती भूल की गई है एवम ग्राम पंचायत खेरोदा का निर्णय निरस्त योग्य है ।

4. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खेरोदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.16 नामान्तरकरण संख्या 4092 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

5. अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ स्वयं का शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, नामान्तरकरण संख्या 4092 की प्रति, रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 15.09.14 की प्रति, पेश किये गये है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । रेस्पोडेंट संख्या–1, 2 को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या–1 स्वयं न्यायालय हाजा में नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ है जिससे उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । रेस्पोडेंट संख्या–2 राजपैरोकार उपस्थित होकर जबाब पेश नहीं करना चाहा ।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस को समायत किया । प्रकरण के तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि मौजा खेरोदा पटवार मण्डल खेरोदा तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 2067, 2066 किता–2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्से का एक दान पत्र दिनांक 1509.14 को अपीलाण्ट के पक्ष में विधिवत रूप से